



सत्र फरवरी 2024 मे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रवेश हेतु विवरण

1. भूमिका :-

एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना(MPSDP) के अंतर्गत संचालित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्किल प्रशिक्षण संस्थान है | यह मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है | इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल (हुनर) में इजाफा करना है जिससे युवा वैश्विक स्तर पर उपयोग की जा रही नयी तकनीकी की मशीनों के साथ सामंजस्य बना कर सहज रूप से अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें और रोजगारोन्मुखी बनने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर सकें |

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैम्पस भोपाल में जुलाई 2019 से एक वर्षीय कोर्स "एडवांस्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग" शुरू किया गया है, जिसमे विद्यार्थियों को एक्सपर्ट प्रशिक्षकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों से सुसज्जित उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर में , उद्योगों के मांग के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |

एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के एक मॉडल पर आधारित है |

2. कोर्स विवरण:-

कोर्स नाम	पात्रता	सीटों की संख्या	कोर्स अवधि
एडवांस्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग	आईटीआई उत्तीर्ण (टर्नर/फिटर/मशीनिस्ट/मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस/मशीनिस्ट ग्राइंडिंग)	60	1 वर्ष (2040 घण्टे)
	B.E. / B. Tech या डिप्लोमा (मेकेनिकल/इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन)	60	
	कुल	120	

3. अकेडमिक कैलेंडर :-

240 ट्रेनी के लिए प्रतिवर्ष दो बार एडमिशन का प्रावधान है।

- जनवरी प्रतिवर्ष - 120 सीट (शीतकालीन सत्र)
- जुलाई प्रतिवर्ष - 120 सीट (मॉनसून सत्र)

4. संस्थान की प्रमुख विशेषताएं :-

- ग्लोबल स्किल्स पार्क – सिटी कैंपस, भोपाल में संचालित कोर्स “एडवांस्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग” आईटीई एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर के साथ सहभागिता कर उद्योगों की मांग के अनुरूप सिलेबस तैयार कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को छः अलग – अलग मोड्यूल में बांटा गया है , जिसमें कि प्रथम तीन मॉड्यूल(M1,M2,M3) प्रथम सेमेस्टर, एवं अंतिम तीन मॉड्यूल(M4,M5,M6) द्वितीय सेमेस्टर हैं। प्रत्येक मोड्यूल की प्रशिक्षण अवधि 7 सप्ताह है एवं प्रशिक्षणार्थी एक मोड्यूल में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही क्रमशः अन्य मोड्यूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
- कोर्स में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी का अनुपात 70:30 है अर्थात् प्रशिक्षण के दौरान कोर्स का 70% हिस्सा प्रैक्टिकल एवं 30% हिस्सा थ्योरी पर आधारित है।
- छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क में वही मशीनें लगाई हैं जो बड़े-बड़े उद्योगों में उपयोग होती हैं। इनमें सीएनसी टर्निंग एवम CAM, कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन, सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग एवं CAM और 3 डी CAD/CAM जैसी आधुनिक और एडवांस मशीनें हैं।
- साथ ही प्रशिक्षण हेतु 'डीएमजी मोरी जर्मनी की 5 एक्सिस' मशीन भी है। इस एडवांस मशीन की खासियत है कि इसका c एक्सिस 360 डिग्री पर एवम B एक्सिस 110 और - 35 डिग्री पर रोटेट होकर काम करती है. इसका स्पाइनल पावर 46 केवी का है जो कि

15 हजार आरपीएम के साथ काम करता है। इस प्रकार एक ही सेटिंग में 5 सरफेस पर कार्य होसकता है | इस मशीन का उपयोग ऐरो स्पेस, डिफेन्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बोन पाटर्स , बोन स्कू , एविएशन इंडस्ट्री के क्षेत्रों में जॉब बनाने में किया जाता है।

- प्रशिक्षण हेतु स्टूडेंट मशीन अनुपात 1:1 है , अर्थात एक छात्र एक मशीन पर प्रैक्टिस करता है।
- यहां टेक्निकल नॉलेज के साथ छात्रों को सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है | जिसमें उनके पर्सनालिटी को निखारने के लिए लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल इत्यादि की ट्रेनिंग भी शामिल है।

5. कोर्स विवरण :-

प्रीसिजन इंजीनियरिंग बहु-विषयक अध्ययन और उच्च सटीकता के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौशलविकास, डिजाइन के अनुसार उत्पादन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्ता तथा उत्पादों का परीक्षण करने का अभ्यास है | यह एक अभ्यास उन्मुख कार्यशाला आधारित कोर्स है जिसमें अत्याधुनिक सीएनसी मशीनों, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और मेट्रोलाजी उपकरणों के उपयोग को सिखाया जाता है।

प्रीसिजन इंजीनियरिंग के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत छः (6) तकनीकी मॉड्यूल शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

- मॉड्यूल 1-इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3D CAD
- मॉड्यूल 2- प्रिसिजन मशीनिंग (टर्निंग, मिलिंग ,सरफेस ग्राइंडिंग)
- मॉड्यूल 3- मेट्रोलाजी और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन (CMM)
- मॉड्यूल 4- CNC टर्निंगऔर CAM
- मॉड्यूल 5- CNC मिलिंगऔर CAM
- मॉड्यूल 6- एडवांस CNC मशीनिंग और EDM (Electric Discharge Machine) वायरकट



- जीवन कौशल प्रशिक्षण (Life skill training) एवं ऑन द जॉब ट्रेनिंग(OJT) के मॉड्यूल भी इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं।
- प्रशिक्षणार्थियों के समय-समय पर औद्योगिक भ्रमण एवं एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन भी कोर्स के दौरान किया जाता है।
- यह एक नियमित कोर्स है। जिसमें प्रशिक्षणार्थी की पूर्णकालिक उपस्थिति अनिवार्य है। अतः छात्र एक समय में एक ही पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकता है।

6. जीवन कौशल प्रशिक्षण (Life skill training):-

जीवन कौशल प्रशिक्षण (Soft skill training) कोर्स का अतिरिक्त मॉड्यूल है और यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल है, इस मॉड्यूल में प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इस मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी में, कैंपस प्लेसमेंट के लिए साक्षात्कार, नेतृत्व क्षमता, संचार क्षमता (कम्युनिकेशन स्किल), प्रस्तुतिकरण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. ऑन द जॉब ट्रेनिंग(OJT):-

ऑन द जॉब ट्रेनिंग(OJT) भी कोर्स का अतिरिक्तमॉड्यूल है, और यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल है,ऑन द जॉब ट्रेनिंग(OJT) में प्रशिक्षणार्थियों को 5 सप्ताह हेतु संस्था द्वारा प्रिसिजन उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। जिससे प्रशिक्षणार्थी औद्योगिक वातावरण एवं वहाँ की कार्यशैली को भली-भांति समझ सके। जो की उनके कैंपस प्लेसमेंट में काफी मददगार साबित होता है।

8. परीक्षा एवं मुल्यांकन:-

एक वर्षीय सर्टिफिकेशन कोर्स में दो बार सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

Practical Test	<ul style="list-style-type: none"> Continuous assessment during module through Phase tests (Exercises on machines) <p>(2 to3) phase tests will be given during each module (Weightage- 60%)</p>
Theory Test	<ul style="list-style-type: none"> Continuous assessment through class test (8% weightage) End semester exam (32% weightage) Total weight age 40%
Passing Mark	<ul style="list-style-type: none"> 50% overall.(marks given in theory and practical test) Less than 50% marks will be adjudged as fail.
Supplementary Exam	<ul style="list-style-type: none"> One supplementary exam during the vacation period at each semester. Only one subject module supplementary is permitted. Two or more subjects failing will result in repeat of the Semester and re-registration and fee payment.
Credits Allotment	<ul style="list-style-type: none"> Proportionate to the duration of the module. module (M1-M6, IA, SS- total 8 modules)
Industry Attachment	<ul style="list-style-type: none"> Industry attachment module will be assessed by Industry and GSP both (through presentation, report etc.) in 60%-40% proportion.

9. मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट:-

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क , भोपाल में संचालित कोर्स “प्रिसिजन इंजीनियरिंग” के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण उपरांत सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी | साल भर के कोर्स में 2 सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाती है , एवं प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर मार्कशीट प्रदान किया जाता है | जिन प्रशिक्षणार्थियों ने दोनों सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें ग्लोबल स्किल्स पार्क द्वारा सर्टिफिकेट प्रदत्त किया जाता है |

10. रोजगार के अवसर :-

- कोर्स कम्प्लीट करने के पश्चात उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी CNC प्रोग्रामिंग तथा CAD/CAM में टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे |
- विद्यार्थी 3D प्रोफाइल प्रोग्राम, फानुक / सीमेंस / मित्सुबिशी कंट्रोलर पर विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, बायोमेडिकल, हेवी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, टूलरूम, मैनुफैक्चरिंग उद्योगों में कार्य करने के अवसर प्राप्त करेंगे |



- कोर्स के अंतिम मॉड्यूल से ही प्रशिक्षणार्थियों के जॉब (Placement) हेतु प्रतिष्ठित प्रिसिजन उद्योगों को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाता है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें |
- उक्त कार्य के लिए प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गयी है ,जो संस्था की प्लेसमेंट गतिविधियों एवं प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट करवाने हेतु सतत प्रयासरत रहता है |

11. सामान्य जानकारी:-

- 11.1 प्रतिदिन पांच घंटे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं, शैक्षणिक स्कूल/कॉलेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।
- 11.2 प्रवेश लेने के बाद किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 11.3 कोर्स के प्रत्येक मॉड्यूलमें अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 85 प्रतिशत होना अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- 11.4 लगातार 3 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।
- 11.5 संस्था से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के लिए संस्था प्रमुख एवं उनसे उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे |
- 11.6 प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट/ हानि पहुँचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिसके लिये प्रवेश के समय आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा |
- 11.7 संस्था में प्रवेश के पश्चात्, यदि प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश किसी भी कारण से रद्द किया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गयी प्रशिक्षण शुल्क संस्था द्वारा वापस देय नहीं होगी |



12. प्रशिक्षण शुल्क :-

❖ आईटीआई /डिप्लोमा/इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	राशि रू. 15,000/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	राशि रू. 10,000/-

❖ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क रुपए 80,000/- निर्धारित है।

प्रवेशित छात्रों को प्रशिक्षण शुल्क 1 अथवा 2 किशतों में भरने का प्रावधान भी ऑनलाइन दिया गया है।

किशतों की राशि विभाग द्वारा तय समय में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

13. छात्रवृत्ति :-

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति से संबंधित योजना निम्नानुसार है:-

क्र.	योजना का नाम	विवरण
1	निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत सम्मिलित की गई है।
2	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

14. प्रवेश एवं प्रवेश में आरक्षण :-

- प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट सूची बनाकर की जावेगी।
- प्रवेश, प्रवीणता के आधार पर निर्धारित आरक्षण के अनुसार दिया जावेगा।

प्रवेश हेतु कुल 120 सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों हेतु	5% सीट्स
अन्य राज्यों के आवेदकों हेतु	20% सीट्स
मध्यप्रदेश के आवेदकों हेतु	75% सीट्स

संस्थान को प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर प्रथम मेरिट सूची (आईटीआई आवेदकों की 60 सीट्स एवं बी. ई./ बी. टेक / डिप्लोमा आवेदकों की 60 सीट्स) के आधार पर तैयार किया जाना है |कुल सीटों की 5% सीटें अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए, 20% सीटें राष्ट्रीय आवेदकों के लिए और 75% सीटें मध्यप्रदेश राज्य आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगी।

- 1) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (संपन्न स्तर को छोड़कर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लिए पृथक से कोई आरक्षण नहीं होगा।
- 2) प्रवेश के किसी भी चयन सूची में यदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने की स्थिति पर, मध्य प्रदेश राज्य के आरक्षण रोस्टर अनुसार आवेदकों को आवंटित की जाएगी एवं प्रवेश दिया जायेगा ।

15. वर्टिकल आरक्षण

(मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों हेतु)

स.क्र.	श्रेणी / वर्ग	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति (SC)	16 प्रतिशत
02	अनुसूचित जनजाति (ST)	20 प्रतिशत
03	पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न स्तर को छोड़कर) (OBC)	14 प्रतिशत (किसी भी प्रकार का संशोधन राज्य शासन के अंतिम निर्णय के अध्ययन होगा यदि किसी चलित Allotment की प्रक्रिया के दौरान यह आदेश पारित होता है तो यह अगले Allotment से लागू होगा
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	10 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणी के लिए व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तन कर भरा जावेगा :-

- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान पर अनुसूचित जनजाति के



आवेदकों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के आवेदक उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होंगे, तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी से भरा जावेगा।

- ऐसे आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS) के आवेदक जो स्वयं की योग्यता के आधार पर निर्धारित सामान्य मापदंड के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की योग्यता क्रम सूची में चयनित हो जायेंगे, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में ही की जावेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी से भरा जायेगा।

16. होरिजेंटल आरक्षण-

- महिलाओं के लिए – मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए निम्न प्रावधान अनुसार आरक्षित किये गये हैं :-
 - 1) 30 प्रतिशत आरक्षण वर्टिकल एवं होरिजेंटल श्रेणी में होगा।
 - 2) किसी भी वर्टिकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजेंटल वर्ग में महिला आवेदक न होने पर उस श्रेणी / वर्ग की पात्रता के पुरुष आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी / वर्ग की महिलाओं में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

निःशक्तजन आवेदक – ऐसे आवेदक जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा है, के लिए कुल 06 प्रतिशत (अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, द्रष्टिबाधित प्रत्येक को 02-02 प्रतिशत) सीटें आरक्षित हैं।

17. समस्त प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी :-

- आईटीआई के आवेदकों के लिए आईटीआई में प्राप्तांको के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी | जिसमे अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग (UR/OBC) के लिए न्यूनतम 65% (अजा./ अजजा. / दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम 50%) से आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तभी उन्हें मेरिट में रखा जायेगा |
- बी.ई. / बीटेक / डिप्लोमा के आवेदकों के लिए बी.ई. / बीटेक / डिप्लोमामें प्राप्तांको के अनुसार मेरिट से लिया जायेगा | जिसमे अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग (UR/OBC) के लिए न्यूनतम 65% (अजा./ अजजा. / दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम 50%) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तभी उन्हें चयन मेरिट सूची में रखा जायेगा |
- यदि किसी आवेदक ने आईटीआई एवं डिप्लोमा / बी.ई. / बी. टेक उत्तीर्ण किया है इस स्थिती में आवेदक आईटीआई एवं डिप्लोमा / बी.ई. / बी. टेकदोनों की मेरिट सूची में पात्रता अनुसार चयनित हो सकेगा |
- आईटीआई के आवेदकों हेतु 60 सीटें निर्धारित हैं | आईटीआई सीटें रिक्त रहने पर डिप्लोमा /बी. ई. /बीटेक के आवेदकों को आवंटित की जाएगी |
- डिप्लोमा/ बी. ई./बीटेक के आवेदकों हेतु 60 सीटें निर्धारित हैं | बी. ई. / बीटेक / डिप्लोमा के आवेदकों की सीटें रिक्त रहने पर आईटीआई के आवेदकों को आवंटित की जाएगी
- कुल 120 सीटों की 75% (90 सीटें) मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों के लिए, 20% (24 सीटें) सीटें आँल इंडिया (राष्ट्रीय) आवेदकों के लिए और 5% (06 सीटें) सीटें अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी | राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों सीटें रिक्त रहने पर मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों को आवंटित की जाएगी|

प्रवेश में आरक्षण नियम (म.प्र. के आरक्षण नियम अनुसार) का पालन करते हुए निम्नानुसार सीट्स का आवंटन किया जाना है :

- आरक्षण के अनुसार सबसे पहले दिव्यांग आवेदकों के लिए आरक्षित (PWD / PH की सीट मेरिट अनुसार उनके सम्बन्धित कटेगरी में भरी जाएगी |

- किसी भी वर्टिकल क्षेत्री या उसके अंतर्गत होरिजेंटल वर्ग में महिला आवेदक नहीं होने पर उस क्षेत्री / वर्ग की पात्रता के पुरुष आवेदक को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य क्षेत्री / वर्ग की महिलाओं में समायोजित नहीं किये जायेंगे।
- एक से अधिक आवेदकों के समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु के आवेदकों को प्रथमिकता दी जावेगी।

उक्त निर्देशों /मार्गदर्शकों एवं सिद्धांतों के अनुसार प्रथम प्रोविजनल चयन सूची तैयार की जाएगी।

18. आवंटन सूची एवं CLC लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी :-

- a. आवेदक द्वारा चयन सूची में नाम आने पर ,यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आगामी चयन सूचियों हेतु उसका दावा समाप्त हो जायेगा। किन्तु आवेदक रिक्त स्थान रहने की स्थिति में CLC राउंड में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकेगा।
- b. यदि प्रथम सूची के दौरान 'बिंदु क्रं. 14 के उपबिंदु 2)' अनुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों हेतु आरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो, उन्हें म.प्र. सीटों में कन्वर्ट किया जाएगा एवं म.प्र. आरक्षण रोस्टर अनुसार प्रथम सूची एवं द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी।
- c. यदि द्वितीय चयन सूची के उपरांत प्रवेशित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो म.प्र. आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त सीटों के कनवर्जन ('बिंदु क्रं. 15,16 एवं 17 अनुसार)किए जाएँगे, एवं तृतीय चयन सूची जारी की जाएगी।
- d. यदि तृतीय चयन सूची जारी होने के उपरांत भी स्थान रिक्त रहने की स्थिति में पहले आओ पहले पाओ आधार पर CLC के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।



19. प्रोविजनल कॉलेज CLC एडमिशन लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी

जीएसपी – सीसी में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहने की स्थिति में सभी रिक्त सीटों हेतु आरक्षण समाप्त करते हुए सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर इंस्टिट्यूट लेवल पर सभी पात्र आवेदकों द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग कर “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर संस्था में प्रवेश दिया जायेगा।

20. परिवीक्षा:-

- 20.1 प्रशिक्षण अवधि में संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन प्रशिक्षणार्थियों को करना होगा।
- 20.2 एक माह अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रूझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।

21. अनुशासन:-

संस्था के पशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर उनके विरूद्ध संस्था प्रमुख द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जो कि (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना इत्यादि हो सकती है।

22. निष्कासन:-

- 22.1 प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात भी चाही गयी आवश्यक जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर।
- 22.2 प्रस्तुत जानकारी / प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत / भ्रामक पाये जाने पर (आवश्यकतानुसार) प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही के लिये भेजा जा सकता है।
- 22.3 संस्था के कार्यशाला, पठन-पाठन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दुराचरण करने पर।
- 22.4 प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अथवा प्रगति असंतोषजनक होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से व्याव्यायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने।
- 22.5 आवेदक को भर्ती के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय के किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर।
- 22.6 प्रवेश गलत है की शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।



23. अवकाश:-

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दिए जाने वाले अवकाश का प्रावधान निम्नानुसार है :-

- 23.1 **आकस्मिक अवकाश:** प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के दौरान 6 आकस्मिक अवकाश, या एक वर्ष के पाठ्यक्रम में कुल 12 आकस्मिक अवकाश संस्था प्रमुख / सम्बंधित अधिकारी की अनुमति के उपरांत ले सकता है।
- 23.2 **चिकित्सा अवकाश :** एक वर्ष के पाठ्यक्रम की अवधि में अधिकतम 12 चिकित्सा अवकाश, वास्तविक चिकित्सा आधार / चिकित्सा प्रमाणपत्र का विश्लेषण कर स्वीकृत किया जा सकता है।
- 23.3 **विशेष अवकाश :** किसी विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थी को, संस्था प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम 10 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

24. अपील:-

प्रवेश निष्कासन इत्यादि संबंधी शिकायत अथवा अपील परियोजना संचालक ग्लोबल स्किल्स पार्क कार्यालय को सामान्यतः एक माह के अंदर प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थी / अपीलकर्ता के लिये परियोजना संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारक होगा।





Annexure 1

Declaration to be presented at the time of admission

(Affidavit)

I.....S/o/D/o.....

Advanced Precision Engineering Session –January 2024 want to take admission in **Sant Shiromani Ravidas Global skills Park, Bhopal Govindpura ITI Campus Raisen Road Bhopal Institute.**

I completely understand and hereby declare that if I get any type of physical injury during the training then it will be solely my responsibility.

By signing below, I agree to that I will not claim for any kind of recovery against any injury/damage caused to me. I release the Institute named above from all liability, costs and damages. I understand that the fee paid by me is non-refundable.

Date:

Signature of Applicant

Place:

(1) Reference detail.

Name :-

Address :-

Mobile No. :-

(2) Reference detail.

Name :-

Address :-

Mobile:-.....

